अति–आवश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प–43/2013/446 **दिनांक : 24/10/2013**

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय द्वारा आपसे कई बार बकाया लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना चाही जाती रही है, किन्तु आप द्वारा वांछित सूचना समय पर नहीं भिजवाई जाती है। उच्च स्तर पर लम्बित पेंशन प्रकरण का निपटारा नहीं होने को बड़ी गंभीरता से लिया है तथा निर्देश प्रदान किये है कि जिन जिला संस्थानों में बकाया पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

अतः यह अवगत करावें कि आपके यहाँ किन–किन के कितने पेंशन प्रकरण कब से बकाया है तथा किस स्तर पर लम्बित है। वांछित सूचना आज ही विशेष पत्र वाहक के साथ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रकरण में विलम्ब होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे साथ ही यह भी निर्देशानुसार निर्णय लिया गया है कि लम्बित पेंशन प्रकरणों की प्रगति की सूचना हर माह की 5 तारीख को निदेशालय को भिजवाना आवश्यक होगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प–43/2013/446 **दिनांक : 24/10/2013**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन आने वाले जिला संस्थानों से लम्बित पेंशन प्रकरणों में प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 5 तारीख को अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचना भिजवाने के क्रम में आप मोनिटरिंग करते हुये जो जिला अधिकारी वांछित सूचना नहीं भिजवाते है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भिजवायेंगे।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को आज ही बैवसाईट पर डालने का श्रम करें।
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर